

महत्वपूर्ण एवं खास

विचारार्थीन बंदी के उपचार के दौरान हुई मृत्यु की होगी दंडाधिकारी जांच जगदलपुर (आरएनएस)। सुकमा जिले के गोगुण्डा निवासी 40 वर्षीय विचारार्थीन बंदी मुचाकी देवा पिता हड़मा के उपचार के दौरान हुई मृत्यु की दंडाधिकारी जांच के निर्देश कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने मृत्यु की जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर डीआर ठाकुर को जांच दंडाधिकारी नियुक्त किया है। संयुक्त कलेक्टर डीआर ठाकुर ने बताया कि सुकमा जिले के गोगुण्डा निवासी 40 वर्षीय विचारार्थीन बंदी मुचाकी देवा पिता हड़मा को जेल चिकित्सक के परामर्श अनुसार 09 जून 2022 को शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिमरापाल जगदलपुर में उपचार करवा जा रहा था, जहां उपचार के दौरान 10 जून 2022 की दरमियानी रात एवं 11 जून की प्रातः 03.15 बजे बंदी को मृत घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि विचारार्थीन बंदी मुचाकी देवा पिता स्व. हड़मा उम्र 40 वर्ष निवासी डुगिनपारा गोगुण्डा थाना चिंतागुफा की मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी अथवा साक्ष्य होने पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 21 सितंबर 2022 तक इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 21 (नजूल नवकरण शाखा) में प्रस्तुत कर सकते हैं।

19 किलो गांजा के साथ 2 महिला तस्कर गिरफ्तार


सुकमा (आरएनएस)। जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना तोंगपाल पुलिस ने नेशनल हाइवे में तोंगपाल से आगे गुंटेर नाला, नींबू ढाबा के पास दो सदिय महिलाएं, प्रीति राठौर, पति सुरेश राठौर, 37 वर्ष, जाति कुर्मी, निवास नमलाशर्की, तहसील थाना जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश एवं काजल बाला पति संजय बाला, 28 वर्ष, जाति नमोशूद्र, निवासी कामबरा 49, थाना ओंकेल, जिला मलकानगिरी(ओडिसा) के कब्जे से 04 पैकेट में कुल 19 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजा की अनुमानित बाजार मूल्य 01 लाख 90 हजार रूपयें आंकी गई है। गिरफ्तार दोनों महिला गांजा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दोनों ही महिला आरोपियों को जेल दाखिल किया गया, कार्यवाही में सजनि गयानाथ पटेल, प्र.आर. आसमान मांडी, आर. चामसिंह सिन्हा, उदय कुपाल, महिलाआर. सुनम नागी, बसंती नाग, हीरावती बघेल का योगदान रहा। तोंगपाल थाना प्रभारी विजय पटेल ने बताया कि गांजा तस्करों के विरुद्ध सुकमा पुलिस का अभियान सतत जारी रहेगा, आरोपियों से पूछताछ में कुछ जिले व बाईर क्षेत्र के लोगों के नाम आये हैं, जिस पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। यात्री बसों की सख्ती से जांचकर बस चालकों को भी फटकार लगाई जा रही है।

राहगीरों से मोबाईल पर्स लूटने वाले दो लड़के पकड़े

रायपुर (आरएनएस)। उरला पुलिस ने राहगीरों से मोबाईल, पर्स आदि लूटने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार कर उनके पास से अलग-अलग वारदातों में लूटे गये 5 मोबाईल फोन एवं एक मोटरसायकल बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को उरला पुलिस पार्टी टाउन भ्रमण पर थी। इसी दौरान मुखबीर सूचना मिली कि दो लड़के जो सिंघानियों चौक के पास लूटे हुये मोबाईल को बेचने के फिंरक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस पार्टी तत्काल मौके पर पहुंची तथा जैसे ही उन लड़कों से बात करने के लिये पुलिस उनकी ओर बढ़ी बाईक सवार दोनों लड़के भाग खड़े हुये। उनको भागता देख पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया और उन्हें सरोरा चौक के पास पकड़ लिया गया। थाना लाकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों लड़कों ने अपना नाम चन्द्रहास उर्फ सनी जंघेल पिता चैन जंघेल, 18 वर्ष, हीरानगर अछली, रायपुर तथा मनीष बालो पिता नेशा बालो 19 वर्ष सुभाष चौक उरला रायपुर बताया। आरोपियों ने रास्ते चलते लोगों से लूटपाट करना स्वीकार किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनपर धारा 41(1)(B) जाँफ/379,34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

पति ने की पत्नी की हत्या, हुआ गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। आरोपी शिव प्रकाश शाह को अपनी पत्नी ममता शाह के पेट में चाकू घोंप कर हत्या कर, साक्ष्य छिपाने के आरोप में रामपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा हत्या को आत्महत्या बताकर लगातार पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। किंतु पीएम रिपोर्ट ने आरोपी के प्लान पर पानी फेर दिया। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करने के पश्चात जिले में लंबित अपराध, मर्ग, शिकायत सहित अन्य मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है। लंबित मामलों के समीक्षा हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व, समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना के प्रभारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।



समीक्षा के दौरान चौकी रामपुर थाना कोतवाली कोरबा में पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 56/22 धारा 174 जा फौ मृतिका ममता शाह के मामले में पाया गया कि शिव प्रकाश शाह दिनांक 17/04/2022 को ममता शाह को घायल अवस्था में लेकर वर्मा के नेतृत्व, समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना के प्रभारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

में चाकू घोंप लिया है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है, उपचार दौरान ममता शाह का मौत हो गया। मामले में पुलिस चौकी रामपुर में मर्ग क्रमांक 56/2022 धारा 174 जा फौ पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ किया गया, चूंकि मृतका अस्पताल में बेहोशी अवस्था में भर्ती हुई थी बेहोशी के अवस्था में ही उसकी मौत हो गई। इसलिए पुलिस को घटना की वास्तविक की जानकारी नहीं हो पाई। मृतिका के पति शिव प्रकाश शाह द्वारा बताए गए घटनाक्रम पर भरोसा कर पुलिस ने जांच जारी रखा। मामले में रामपुर पुलिस द्वारा मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा पाया गया कि मृतिका के शरीर में 14 चोट के निशान पाए गए, जिनका क्वेरी कराने पर डॉक्टर ने बताया कि मृतका को आई

छोटे स्वयं द्वारा नहीं पहुंचाई जा सकती है। इस आधार आरोपी पति शिव प्रकाश शाह के विरुद्ध धारा 302/201 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी शिव प्रकाश शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर वह काफी देर तक गुमराह करता रहा। अंततः तकनीकी पहलुओं के आधार पर पूछताछ करने पर वह टूट गया और बताया कि वह अपने पत्नी ममता शाह का के चरित्र पर शंका करता था, इसी कारण दिनांक 17/04/2022 के रात्रि में पेट में चाकू से वार कर हत्या कर दिया और घटना को छुपाने एवं पुलिस को गुमराह करने के नियत से पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के उद्देश्य से स्वयं पेट में चाकू घोंप लेना बताकर जांच को गुमराह कर रहा था, किंतु पीएम रिपोर्ट ने आरोपी का राज खोल दिया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

बीच बचाव करने वाले युवक को मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। गणेश विरसन के दौरान दो युवकों के बीच हो रहे विवाद पर बीच बचाव करने पहुंचे युवक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 9 सितंबर को नवयुवक गणेश उत्सव द्वारा स्थापित गणेश को विरसन करने महादेवघाट ले जाते समय गणेश मंदिर रायपुरा पेट्रोल पंप के पास आशु देवांगन एवं खगेश पाल के मध्य किसी बात पर विवाद हो रहा था। इस दौरान मिथिलेश यादव नामक युवक विवाद को शांत कराने की नीयत से बीच बचाव करने लगा। इस पर आयुष्मान देवांगन ने मिथिलेश को ही गंदी गालियां देकर उसके साथ विवाद करने लगा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे पास रखे चाकू से मिथिलेश की के पीठ में एवं नाक में हमला कर दिया एवं फरार हो गया। मामले की शिकायत मिथिलेश यादव पिता उमेश

यादव उम्र 29 साल ने डीडी नगर थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 25.27 आम्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आयुष्मान देवांगन उर्फ आशु देवांगन जोरापारा रायपुरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। **चाकू लहराकर लोगों को डरा रहा युवक पकड़ाया-** टिकरापारा पुलिस ने चाकू लेकर लोगों को डरा रहे एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू बरामद किया है तथा आरोपी को ज्युडीशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर चलाये जा रहे अवैध हथियार रखने वालों की धरपकड़ अभियान के तहत टिकरापारा पुलिस ने गणेश विरसन के दौरान चाकू लेकर लोगों को आतंकित करते हुये राहुल नगरची पिता धारिका नगरची उम्र 20 वर्ष निवासी दुर्गा पारा संतोषी नगर के पास से पकड़ा गया है।

जेल प्रहरी की पत्नी की शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जेल प्रहरी विजय बाजरे पर अपनी ही पत्नी को मारकर फांसी के फंदे पर लटकाने के आरोप लगे हैं, ये आरोप लडकी के मायके पक्ष के लोगों ने लगाए हैं और जिला अस्पताल में चीमर के पास लडकी के परिजनों ने जम कर बवाल भी मचाया। प्रास जानकारी के अनुसार मृतका नीलम जांजगीर चांपा की रहने वाली थी। उसका पति दंतेवाड़ा जिला जेल में जेल प्रहरी के पद पर कार्यरत है। वे दो बच्चों समेत जेल में बने सरकारी आवास में ही रहते थे। आसपास के लोगों के मुताबिक कभी दोनों ने बीच में मारपीट या झगड़ा की जानकारी नहीं है, पर मृतका के शरीर पर

जगह-जगह मारपीट के निशान मिले हैं। मृतका के पिता मदनलाल खट्टे ने बताया उनकी बेटी के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी। दहेज के लिए भी परेशान किया जाता था। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में नई कार भी खरीद कर हमने दी थी, 2013 दोनों ने लव मैरिज की थी, जिसे पहले तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया था पर बाद में लव मैरिज को अंजंज करवाया गया था, मृतका के पति की पोस्टिंग नारायणपुर जिला जेल में ही पर अभी अटैच में दंतेवाड़ा जिला जेल में सेवा दे रहा है। जेल प्रहरी विजय बाजरे पर स्वजनों ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

तालाब में मत्स्याखेट पर डेढ़ वर्ष से रोक

हाई कोर्ट ने आवेदन पर फैसला लेने कहा
बोड़ला तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत राजानवागांव का मामला

कवर्धा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने भोरमदेव मछुवा समिति, राजानवागांव, तहसील बोड़ला के पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने का निर्देश कलेक्टर कबीरधाम को दिया है। तहसील बोड़ला अंतर्गत ग्राम पंचायत राजानवागांव ने ग्राम के तालाब में मत्स्याखेट के लिए मछुवा कल्याण समिति राजानवागांव को ठेका आबंटित किया है। इसका विरोध करते हुए भोरमदेव मछुवा

समिति मर्यादित, राजानवागांव, तहसील बोड़ला ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बोड़ला के समक्ष ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 91 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। उसने मत्स्याखेट का ठेका खुद को दिए जाने की मांग की। भोरमदेव मछुवा समिति मर्यादित, राजानवागांव की अपील को अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बोड़ला ने अस्वीकृत कर दिया। इस पर भोरमदेव मछुवा समिति ने कलेक्टर कबीरधाम के समक्ष आवेदन कर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। इसी याचिका को कलेक्टर कबीरधाम ने विचार करने योग्य नहीं मानते हुए 02-03-2021 को अस्वीकृत कर दिया। कलेक्टर कबीरधाम के इस निर्णय के विरोध में भोरमदेव मछुवा कल्याण समिति



ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की शरण ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करते हुए 24-03-2021 को स्थगन आदेश पारित करते हुए यथा स्थिति बनाए रखने कहा। ग्राम पंचायत राजानवागांव अंतर्गत तालाब में पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से

मत्स्याखेट नहीं हो पा रहा है। इधर उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपने नवीन आदेश में कलेक्टर कबीरधाम को भोरमदेव मछुवा समिति के आवेदन को गुण-दोष के आधार पर 60 दिनों के भीतर निराकृत करने का निर्देश दिया है।

श्रद्धालुओं ने विघ्नहर्ता को 11 किलो का मोदक भोग लगाया

तेलंग समाज में माना जाता है बेहद शुभ

कोरबा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक व्यक्ति सिर पर मोतीचूर बूंदी का लड्डू रखकर चल रहा है। उसके आगे-आगे एक युवक सड़क पर पानी छिड़क रहा है। पीछे-पीछे लोगों की भीड़ चल रही है। दरअसल यह लड्डू गणपति बप्पा का प्रसाद है। यह 11 किलो का मोतीचूर का लड्डू 76 हजार रूपयें में नीलाम हुआ है। सबसे अधिक बोली लगाने वाला भक्त इसे सम्मान के साथ अपने घर ले जा रहा है। यह सब जान कर हर कोई हैरान हो



जाएगा, लेकिन शहर के शिवाजी नगर स्थित निगम कॉलोनी में तेलंग समाज की परंपरा के अनुसार गणेश पंडाल की नीलामी में यह लड्डू इसी कीमत पर बिका है। दरअसल शिवाजीनगर स्थित निगम कॉलोनी में तेलंग समाज के लोग बड़ी संख्या में निवासरत हैं, जो एक परिवार की तरह प्रत्येक त्योहार को मनाते हैं। उसमें गणेश

पूजा भी शामिल है। करीब 15 साल से कॉलोनी में पंडाल बनाकर गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति बिठाते और अनंत चतुर्दशी तक पूजा करते हैं, लेकिन वर्ष 2018 में समाज के लोगों ने गणेश पूजन के साथ प्रसाद में चढ़े लड्डू के नीलामी की परंपरा शुरू की। पहले साल मोतीचूर के 2 किलो का लड्डू चढ़ाया गया था। बोली 2,101 और रूपयें से शुरू हुई। लड्डू 11, 101 रूपयें में नीलाम हुआ। तब से हर वर्ष लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसकी नीलामी की जाती है। इस वर्ष पूरे 11 किलो का प्रसाद चढ़ाया गया था, जो 76,000 रूपयें में नीलाम हुआ।

समिति के अध्यक्ष उसतेला लक्ष्मण ने बताया कि तेलंग समाज में भगवान गणेश को चढ़ाया हुआ लड्डू बहुत शुभ माना जाता है। गांव में वर्षों से लड्डू खरीदने की परंपरा चल रही है। लेकिन शहर में यह दूसरा साल है। भगवान के विसर्जन से एक दिन पहले बोली लगाकर लड्डू खरीद लिया जाता है। लड्डू को परिवार के लोग प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। आस-पास बांट भी देते हैं। इस तरह लड्डू के घर पहुंचने पर विघ्नहर्ता स्वयं पर पहुंच जाते हैं और सुख-संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। युवा गणेश उत्सव समिति द्वारा गणेश पूजा के प्रसाद, लड्डू की नीलामी की जाती है।

राज्यपाल उड़के वनबंधु परिषद् के कार्यक्रम में हुई शामिल

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उड़के आज वनबंधु परिषद् तथा एकल अभियान के तत्वावधान में आयोजित समन्वय वर्ग के समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम में वनबंधु परिषद् के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा समन्वय वर्ग के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सुश्री उड़के ने कहा कि वनबंधु परिषद् के माध्यम से एकल विद्यालय द्वारा वनवासियों के उत्थान और वनबंधुओं की शिक्षा के लिए जो कार्य किया जा रहा है, वह अत्यंत सराहनीय है।

एकल विद्यालयों के संचालन के लिए परिषद् स्थानीय युवाओं को ही तैयार करता है, जो इन क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए कार्य करते हैं। आगे चलकर यही युवा राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। राज्यपाल सुश्री उड़के ने कहा कि मैंने राज्यसभा सांसद रहते हुए पांच एकल विद्यालयों को गोद लिया था और विद्यालयों को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश का थी। निश्चित ही वन क्षेत्रों में शिक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में एकल विद्यालय का कार्य और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जो शिक्षा, संस्कारवान और स्वावलंबी बनाने

के एक ध्येय के साथ निरंतर कार्य कर रहा है। परिषद् के कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के सीमित संसाधनों के बावजूद वनांचल के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल सुश्री उड़के ने कहा कि इस अभियान की सबसे विशिष्ट बात है कि यह आमजनों के अनुदान से संचालित होता है। छत्तीसगढ़ के वनांचल के प्रत्येक जिले में वनबंधु परिषद् कार्य कर रहा है। संस्थान मानव कल्याण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गौ सेवा, सुपोषण, योग और आयुर्वेद जैसी पारंपरिक पद्धतियां,

वनवासियों के रीति-रिवाजों का संरक्षण जैसे कार्यों को पूरे निष्ठा और समर्पण से पूरा कर रहा है। इस दौरान राज्यपाल ने अपना अनुभव साझा करते हुए उपस्थित समन्वय वर्ग के सदस्यों से कहा कि आप वनवासियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाएं, समाज प्रमुखों और चालकी मांडी जैसे लोगों को भी इससे जोड़ें। वनवासी समाज के मार्गदर्शन में इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। इस दौरान राज्यपाल ने परिषद् के पदाधिकारियों को शांल श्रीफल देकर सम्मानित किया। राज्यपाल को भी परिषद् के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

चोरी के चार बाईक, कम्प्युटर, मॉनिटर व प्रिंटर के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग जगह से मोटर सायकल चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट के बाद चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान के दौरान थाना परपा को मुखबीरों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त चोरियों के कुछ संदेही बड़े मारंगा क्षेत्र में चोरी के मोटर सायकल के साथ देखे गये हैं। सूचना पर घेराबंदी कर 04 चोरी के आरोपियों निखिल मौर्व, आनंद नाग, अजय कडियाम तीनों निवासी तेली मारंगा एवं मेहतर करुण निवासी बड़े मारंगा को गिरफ्तार कर आरोपियों के निशानदेही पर उक्त 03 नग मोटर सायकल, 01 एफिटवा एवं कम्प्युटर मॉनिटर



व प्रिंटर बरामद कर जप्त किया गया है। चारों आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही उपरांत न्यायालय तत्पश्चात् जेल दाखिल कर दिया गया। मामले में जप्तशुदा सम्पत्ति की अनुमानित बाजार मूल्य 01 लाख 50 हजार रूपयें आंकी गई है।

समाज को दिशा देने का कार्य कर रही है ब्रह्माकुमारी संस्थान

वैदिक काल से ही भारत शान्ति का अग्रदूत
अशान्ति का प्रमुख कारण मनुष्य के व्यर्थ विचार
भौतिक साधनों से सुख और शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती
रायपुर (आरएनएस)। आज की भागदौड़ भरी दिनचर्या में समाज का नैतिक पतन मन को विचलित कर देता है। ऐसे समय पर ब्रह्माकुमारी संस्थान अपनी शिक्षाओं के द्वारा समाज को दिशा देने और लोगों

को संस्कारित करने का शुभ कार्य कर रही है जो कि हम सब के लिए अनुकरणीय है। यह विचार राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम ने आज प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा शान्ति सरोवर में आयोजित परिचर्चा में व्यक्त किए। विषय था -विश्व शान्ति का अग्रदूत भारता उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्था विश्व शान्ति के लिए पूरे सालभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को शान्ति का सन्देश दे रही है। जिस शान्ति के लिए लोग भटक रहे हैं वह यहाँ शान्ति सरोवर में सहज ही मिल जाती

है। यहाँ पर आने से ही शान्ति की अनुभूति होने लगती है। छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोषण आयोग की रजिस्ट्रार श्रीमती उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने कहा कि न सिर्फ आज बल्कि वैदिक काल से ही भारत शान्ति का अग्रदूत रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो विश्व दो गुटों में बटा हुआ था किन्तु भारत ने निर्णय किया कि वह किसी गुट के साथ न होकर गुट निरपेक्ष रहेगा। उन्होंने कहा कि मन की शान्ति के लिए हमें धर्म अथवा अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना होगा क्योंकि शान्तिचिंत रहने से ही हम स्वयं के

व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे और विश्व शान्ति के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। उनके स्वयं के व्यक्तित्व विकास में ब्रह्माकुमारी संस्थान का बड़ा योगदान रहा है। यह संस्थान सम्पर्क से कभी अशान्त नहीं होगा। इस तरह एक-एक व्यक्ति के शान्त होने से पूरा समाज, देश और फिर विश्व में शान्ति हो सकती है। राजयोग शिक्षिका ब्रह्माकुमारी स्मृति दीदी ने कहा कि शान्ति को हम भौतिक वस्तुओं में ढूँढते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा कमान बना लेंगे तो शान्ति मिल जाएगी कुछ लोग महंगी गाड़ियों में उसे पाने का प्रयास करते हैं।

असहाद का शिकार हो रहा है। मन की शान्ति उससे दूर हो गई है। अशान्ति का प्रमुख कारण उसके व्यर्थ विचार हैं। आज यह प्रतिज्ञा करने की जरूरत है कि मैं मन वचन कर्म और सम्बन्ध सम्पर्क से कभी अशान्त नहीं होगा। इस तरह एक-एक व्यक्ति के शान्त होने से पूरा समाज, देश और फिर विश्व में शान्ति हो सकती है। राजयोग शिक्षिका ब्रह्माकुमारी स्मृति दीदी ने कहा कि शान्ति को हम भौतिक वस्तुओं में ढूँढते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा कमान बना लेंगे तो शान्ति मिल जाएगी कुछ लोग महंगी गाड़ियों में उसे पाने का प्रयास करते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

इस संघ का गठनसमर्पण स्वीकृत में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे स्वीकृत प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा समर्पण हेतु नं. 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सल्लाहकार डॉ. वी.के.एस. श्रीवास्तव, श्रीमती उमेश देवी एवं अन्य के धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक न्याय अथवा सामाजिकरूप इतने सम्पत्ति के प्रस्तुत होने पर, उसे विकसित में लाने एवं प्रारम्भ में शिक्षित बहुरूप पर पर आरंभ एवं स्वयं व्यक्तियों के समान संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, शिक्षा, न्याय सम्पत्ति एवं लैंगर, अन्वेषण, परिवारिक, विवाहों के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

आवश्यकता
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य स्वीकृत प्रदेश के समस्त जिलों एवं वरिष्ठ स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार करना, तथा मानविकीय हेतु अनुसंधान पेट करना है। संघ लक्ष्य एवं अन्वेषण हेतु शिक्षा के माध्यम से मानविकीय के सम्पत्ति पर प्रचार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं वरिष्ठ स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानविकीय संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उन्में संघ के द्वारा आर्थिकरूप निम्नलिखित की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संघ में सदस्य बन सकाव है, जिसके लिए संघ के द्वारा निम्नलिखित निम्न एवं दस्ता का प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फर्म संघ के प्रदान करवायेगी में प्रत्येक है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
प्रार्थित एवं पीड़ित व्यक्ति को समर्थन एवं सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संरक्षण की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना तथा संघ के द्वारा संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्तर एवं धरितान के अनुसार आवश्यक मदद को प्रदान करेगा।

मुख्य बिन्दु
संघ विशेष रूप से मानविकीयर दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव को हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत अधिकार संरक्षण को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
● संघ पर्यटन संरक्षण एवं पर्यटन सम्पत्ति केन हेतु भी आवश्यकता ताने का प्रयास करेगा।
● पूरे स्वीकृत प्रदेश में परिवार के अधिकार, कर्मियों के अधिकार, अधिकारियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचितों के अधिकारों के तन्त्र में शिक्षा एवं वैधानिक अधिकारों के वर्धनीय को इस संघ द्वारा संरक्षित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके अधिकारों एवं अधिकारों के बारे में शिक्षा प्रदान करेगा। न्याय प्राप्ति हेतु संघ मदद को प्रदान करेगा।
● संघ लक्ष्य से मानव प्राप्त है, अतः लक्ष्य एवं प्रारम्भ में शिक्षित एवं पर आरंभ एवं स्वयं व्यक्तियों को प्रदान करने में प्रत्येक लक्ष्य बन करेगा।
● इस द्वारा वैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा के समस्त जिलों एवं वरिष्ठ स्तर पर प्रारम्भ करेगा, और तन्त्र उद्देश्य वाली अंतर्गत, राष्ट्रीय, तहसील तथा क्षेत्रीय स्तरों के द्वारा शिक्षित करवा दिया जायेगा।
● संघ सामाजिक कृषि हेतु एवं दूर तक के लिए व्यवस्था कर जायेगी में करेगा। संघ के नूतन प्रिंटर पर प्रचार विभिन्न व्यक्तियों के सम्पत्ति में वर्धनीय को प्रदान करेगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU